

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 2353
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है

माध्यस्थता, मध्यकता और विवाद समाधान में पहले और सुधार

2353. श्री रायगा कृष्णैया :

श्रीमती रेखा शर्मा :

श्री नरहरी अमीन :

श्री नारायण कोरामप्पा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किस तरह से माध्यस्थता और मध्यकता कार्यवाही की दक्षता और गति सुनिश्चित कर रही है ;

(ख) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के माध्यस्थता निर्णयों के प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या मध्यकों और मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने और प्रमाणित करने के लिए कोई सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (ख) : सरकार, मध्यस्थता और मध्यकता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये तंत्र कम विरोधाभासी हैं और विवादों को सुलझाने की पारंपरिक पद्धतियों का बेहतर अनुकूल्य प्रदान करने में सक्षम हैं। सरकार, इन तंत्रों को मजबूत करने और उन्हें अधिक प्रभावी तथा त्वरित बनाने के लिए और नीतिगत तथा विधायी हस्तक्षेप कर रही है। इस संबंध में, पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलों, कदमों और उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं;

(i) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को मध्यस्थता परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ समन्वय रखने और एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को समर्थ बनाने के लिए वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में प्रगामी रूप से संशोधित किया गया है। संशोधनों का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाहियों का समय पर समापन, मध्यस्थों की तटस्थता, मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को न्यून करना और मध्यस्थता अधिनिर्णयों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। संशोधनों का और उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को परिलक्षित करने के लिए विधि को अद्यतन करना है, जिससे वहां एक मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके, जिसमें मध्यस्थ संस्थाओं की स्थापना और उनका विकास किया जा सके।

- (ii) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद में किसी अत्यावश्यक अंतरिम राहत की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पक्षकारों को न्यायालय पहुंचने से पहले पीआईएमएस के अनिवार्य उपाय का आश्रय लेना होगा। इसका उद्देश्य पक्षकारों को मध्यस्थता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने का अवसर प्रदान करना है।
- (iii) भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 को संस्थागत मध्यस्थता को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने के उद्देश्य से भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (केंद्र) की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि केंद्र की स्थापना कर दी गई है और इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच प्रदान करके, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षकारों के बीच आत्मविश्वास की प्रेरणा देना है। केंद्र ने दक्ष और समयबद्ध मध्यस्थता प्रक्रिया पर ध्यान देने के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के संचालन को सुकर बनाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (मध्यस्थता का संचालन) विनियम, 2023 को भी अधिसूचित किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 28 के अधीन स्थापित मध्यस्थता चैंबर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता दोनों के लिए, प्रतिष्ठित मध्यस्थों को सूचीबद्ध करता रहता है। केंद्र क्ी देश में एक आदर्श मध्यस्थता संस्थान बनाने के लिए परिकल्पना की गई है, जिससे मध्यस्थता के लिए संस्थागत कार्यवाहियों की गुणवत्ता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- (iv) मध्यकता अधिनियम, 2023, विवाद ास्पद पक्षकारों द्वारा विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता के तत्वावधान में अपनाई जाने वाली मध्यकता के लिए विधायी रूपरेखा अधिकथित करता है, मध्यकता अधिनियम, 2023 से यह भी प्रत्याशा की जाती है कि यह मध्यकता पर एकमात्र विधि प्रदान करने और न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान की संस्कृति के विकास को समर्थ बनाने के लिए एक मूलभूत विधायी हस्तक्षेप हो।

(ग) से (घ) : भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 15 में केंद्र के कृत्यों का उपबंध है और इसमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह कथन किया गया है कि केंद्र मध्यस्थता, सुलह और मध्यकता से जुड़े लोगों को वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों में प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगा। मध्यस्थता और मध्यकता सहित एडीआर के क्षेत्र में वृत्तिकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुकर बनाने को वर्तमान में भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र द्वारा वृत्तिकों और साथ ही सार्वजनिक और निजी अस्तित्वों सहित पणधारियों के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण आयोजित करके सतत् रूप से किया जा रहा है।
